लोक सुनवाई का विवरण

विषयः– ई.आई.ए. अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मे. आर.आर. इस्पात, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया जिला– रायपुर (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत रोलिंग मिल क्षमता 1,00,000 टन/वर्ष से 2,14,000 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 09.05.2017 को आयोजित लोक सुनवाई का विवरण।

मे0 आर.आर. इस्पात, उरला इण्डस्ट्रीयल एरिया जिला– रायपुर (छ.ग.) में क्षमता विस्तार के तहत रोलिंग मिल क्षमता 1,00,000 टन/वर्ष से 2,14,000 टन/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए लोक सुनवाई कराने बाबत् छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल में आवेदन किया गया। नवभारत तथा टाईम्स ऑफ इंडिया (दिल्ली संस्करण) समाचार पत्रों में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित कर दिनांक 09.05.2017 दिन– मंगलवार को समय प्रातः 11:00 बजे से स्थान एटीडीसी भवन औद्योगिक क्षेत्र उरला, रायपुर (छ.ग.) में सुनवाई नियत की गई, इसकी सूचना ई.आई.ए. अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार संबंधितो को प्रेषित की गई। अपर कलेक्टर रायपुर श्री क्यू.ए.खान की अध्यक्षता में लोक सुनवाई सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान डॉ. एस. के. उपाध्याय क्षेत्रीय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर, डॉ. विभोर अग्रवाल एस.डी.एम. रायपुर, श्री योगेन्द्र सोलंकी सभापति नगर पालिक निगम, बीरगांव, उद्योग प्रतिनिधि श्री विनोद पिल्लई, आसपास के स्थानों के नागरिक आदि लगभग 150 जनसामान्य उपस्थित थे। लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः–

1. लोक सुनवाई प्रातः 11:00 बजे प्रारंभ हुई।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, डॉ. एस. के. उपाध्याय ने प्रस्तावित परियोजना की लोक सुनवाई के संबंध में जानकारी देते हुये अपर कलेक्टर महोदय से जन सुनवाई प्रारंभ करने का निवेदन किया।
3. अपर कलेक्टर श्री क्यू. ए. खान ने प्रस्तावित परियोजना हेतु लोक सुनवाई आरंभ करने की घोषणा की तथा परियोजना प्रस्तावक को परियोजना के संबंध में विवरण देने हेतु निर्देशित किया।
4. सर्वप्रथम उपस्थित लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने की प्रक्रिया आरंभ की गई। जिन लोगों द्वारा उपस्थिति प्रत्रक पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उनकी सूची संलग्नक–1 के अनुसार है।

5. परियोजना प्रस्तावक के सलाहकार श्री मोहन राहंगडाले ने प्रस्तुतीकरण किया। श्री राहंगडाले ने बताया कि ई.आई.ए. अधिसूचना के अनुसार, भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण भाग II, खंड 3, पर्यावरण और वन मंत्रालय की उपधारा (ii) दिनांक 14.09.2006 और 16.11.2009 के संशोधन के अनुसार प्रस्तावित परियोजना 'बी' श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसलिए छ.ग. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता है। प्रस्तावित परियोजना को 26.11.2016 में हुई राज्य पर्यावरण मुल्यांकन समिति (SEAC) छत्तीसगढ़ द्वारा जारी किये गए टी ओ आर के निर्देशों के अनुसार ई. आई. ए. अध्ययन किया गया है। परियोजना की आवश्यकता के संबंध में उन्होंने बताया कि 2014–2015 में भारत में क्रूड स्टील की क्षमता 109.85 मिलियन टन थी, जो कि 2015 में दुनिया में क्रूड स्टील का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है। 2015 को डब्ल्यू एस ए द्वारा जारी किये गये श्रेणी के अनुसार भारत विभिन्न श्रेणी के अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों का स्टील तैयार करने की क्षमता रखता है औद्योगिक नीति के उदारीकरण और सरकार द्वारा उठाये गये अन्य पहलुओं ने इस्पात उद्योग में निजी क्षेत्रों को प्रवेश, भागीदारी और विकास के लिए एक निश्चित प्रोत्साहन दिये जाने व इकाई के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया की आर आर इस्पात तार ड्राईग सुविधाओं के साथ एक मौजुदा वॉयर रॉड मिल है। आर आर इस्पात को 1,00,000 टन/वर्ष की क्षमता के लिए एस ई आई ए ए छत्तीसगढ़ के पत्र क्रमांक 495/एसईआईएए–सीजी/ईसी/रोलिंग मिल/आरवाईपी/20 दिनांक 06.01.2011 को पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है। उन्होंने पर्यावरणीय परियोजना संबंधी संक्षिप्त विवरण, स्थान नक्शा, अध्ययन क्षेत्र का नक्शा (10 कि.मी. की त्रिज्या), परियोजना के संक्षिप्त विवरण के संबंध में जानकारी देते हुये प्रस्तावित विस्तार अंतर्गत कम्पनी अपने रोलिंग मिल की वर्तमान उत्पादन क्षमता 01 लाख टन/वर्ष से 2.14 लाख टन/वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव है, जो काम को 3 शिफ्ट में बढ़ाने से पूर्ण की जाएगी, जिससे प्रदूषण भार में अल्प वृद्धि होने, उत्पादन के लिए मुख्य ईंधन प्रोड्यूसर गैस का उपयोग करने तथा गैसीय फॉयर में ईंधन की खपत 80 किलो ग्राम/टन तक घटाये जाने, भट्ठी का मौजूदा ताप क्षमता 30 टन/घंटा होने व प्रतिघंटा 18 टन की गति से काम करने की जानकारी के बारे में बताया व ताप क्षमता को बढ़ाकर 30 टन/घंटा तक

बढ़ाने के प्रस्ताव जिससे मौजूदा भट्टी 2,14,000 टन/वर्ष तक उत्पादन क्षमता को हासिल करने हेतु सक्षम होने बाबत् जानकारी दी व 07 मार्च 2016 को सीपीसीबी के नये दिशा निर्देशों के अनुसार रोलिंग मिल (गैस आधारित) को उद्योगों के ग्रीन श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किये जाने, उत्पादन संवर्धन, प्रकिया प्रवाह चार्ट, प्रस्तावित लेआउट, भूमि क्षेत्र विवरण/भूमि उपयोग विवरण, वायु प्रदूषण के संबंध में, परिवेशीय ध्वनि स्तर, प्रदूषण नियंत्रण अंतर्गत मंडल के प्रमाणित घटक, परियोजना विस्तार के बाद परिवेशीय वायु गुणवत्ता, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय अंतर्गत निर्माण चरण के दौरान ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने के उपाय लागू किये जायेंगे। सभी शोर करने वाले उपकरणों की समय–समय पर निगरानी की जायेगी, शोर/ध्वनि पैदा करने वाले निर्माण कार्य केवल दिन में किए जाने, ध्वनि पैदा करने वाले क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को सुरक्षात्मक उपकरण उदाहरण इयर प्लग, मफलर इत्यादि प्रदान किये जाने, प्रचालन के दौरान प्रमुख ध्वनि पैदा करने वाले स्त्रोत, क्रशिंग मिल, ऑटो लोडिंग सेक्शन, विद्युत मोटर आदि है, ये स्त्रोत एक दुसरे से दूर स्थित किये जायेंगे व किसी भी परिस्थिति में इनसे होने वाली ध्वनि 85 डेसीबल (ए) से अधिक नहीं होने की जानकारी दी गई। ठोस अपशिष्ट व्यवस्था अंतर्गत मिल स्केल एवं क्लिंकर ऐश की मात्रा एवं उनके अपवहन/निपटान तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय अंतर्गत कच्चे माल को इस्तेमाल करते वक्त निकलती हुई धूल नियंत्रण के लिए धूल नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करने, सभी रोटरी उपकरण जैसे– ब्लोअर, पंप, कम्प्रेशर और रोलिंग मिल को कम ध्वनि करने के हिसाब से बनाये जाने कणिय पदार्थ को हमेशा 50 मि.ग्रा./सामान्य घन मीटर से कम नियंत्रित रखने, स्प्रे प्रणाली को धूल पैदा होने वाले स्थानों में स्थापित होने, पानी का नियमित छिड़काव टैंकरो द्वारा किये जाने, सभी कर्मचारियों द्वारा श्वसन सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किये जाने, हीट रिकुपिरेटर, साईक्लॉन वॉटर स्क्रबर लगाये जाने संबंधित जानकारी दी गई। जल खपत के संबंध में जानकारी देते हुये, जल स्त्रोत छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि/सी.एस.आई.डी.सी. लिमिटेड से होने, बारिस के पानी के संग्रहण के संबंध में पर्यावरण प्रबंधन की लागत अंतर्गत परियोजना की वर्तमान पूंजी लागत 38.49 करोड़ रूपये होने और कोई अतिरिक्त पूंजी लागत का परिचरन नही होने, सिर्फ भट्टी और चिमनी के

संशोधन के लिए रू 02 करोड़ का प्रावधान होने, पर्यावरण प्रबंधन की कुल लागत रू 01 करोड़ और आवर्ती लागत रू 25 लाख/वर्ष प्रदूषण नियंत्रण, वृक्षारोपण, जल संचयन आदि पर खर्च किये जाने संबंधी जानकारी तथा आपातकालीन तैयारी योजना, हरितपट्टा विकास अंतर्गत परियोजना परिसर में और आस–पास 7.889 हेक्टेयर के कुल भूमि क्षेत्र में 2.84 हेक्टेयर (35 प्रतिशत से अधिक) का व्यापक हरित पट्टा विकसित करने, मौजूदा हरित पट्टा, सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए परियोजना लाभ, सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए परियोजनायें तथा सामाजिक विकास उत्तरदायित्व के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया।

6. अपर कलेक्टर श्री क्यू.ए. खान द्वारा इस परियोजना से संबंधित अपना विचार रखने, अपनी राय तथा जन सामान्य के सुझाव व आपत्ति लिखित एवं मौखिक रूप में दर्ज करने हेतु जन सामान्य से कहा गया।

तत्पश्चात उपस्थित लोगों द्वारा उनके विचार व्यक्त करने की प्रक्रिया आरंभ हुई। विवरण निम्नानुसार है :–

1. श्री शेखर कुशवाहा (पूर्व पार्षद) ने कहा कि इण्डस्ट्रीयल एरिया में इनके ग्रुप द्वारा जो इण्डस्ट्री लगाई गई है, उनमें बस्ती के गरीबों को रोजगार मिला है, इण्डस्ट्रीयल एरिया में वृक्षारोपण एवं हरियाली हीरा ग्रुप एवं आर.आर. इस्पात की देन है। मै चाहता हूं कि फैक्ट्री और विस्तार करे। मै इस मंच से यह निवेदन करता हॅू कि प्राथमिक शाला जिससे लोग मंत्री, कलेक्टर, आई.पी. एस. अधिकारी बने हैं, जर्जर पड़ी हुई है, इसमें किसी का ध्यान नही जा रहा है, कृपया सी.एस.आर. मद आदि से इसकी मरम्मत एवं बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कराया जाये।

2. श्री योगेन्द्र सोलंकी (सभापति नगर पालिक निगम बीरगांव) ने कहा कि मैं 55 वर्ष से यहां निवासरत् हॅू। आर.आर. ग्रुप के माध्यम से यहां रहवासी क्षेत्र में जो विकास किया गया है सराहनीय है। हम चाहते हैं कि उद्योग लगे लोगों को रोजगार मिले व आस–पास के वार्डो को गोद लिया जाये।

3. श्री मोहम्मद रियाज (पार्षद बीरगांव) ने कहा कि पिछले 20 दिन पहले जगदलपुर में जो लोग शहीद हुये थे, उनके लिए दो मिनट का मौन धारण किया जाये। मौन धारण के पश्चात श्री रियाज ने कहा कि आर.आर. इस्पात की कंपनी को मैं बचपन से देखता आ रहा हूॅ क्षेत्र का विकास, गार्डन, पर्यावरण संरक्षण के लिए व वार्ड आदि के लिए हमेशा हम लोगों को सहयोग मिलता है। अछोली के श्मशान घाट के लिए भी सहयोग करेंगे।

4. श्री धीरज चन्द्राकर ने कहा कि लोहे के क्षेत्र में हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, मैं तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली घूमा हूॅ। यहॉ हरे पेड़ लगे हुये हैं आयुर्वेदिक कालेज के पास वॉटर फाल बना हुआ है, मुझे बहुंत खुशी होती है कि मै ऐसी संस्था में हूॅ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छी योजनायें चालू किये है, हमारे प्लांट आर.आर. इस्पात से कोई दिक्कत नही होती है। कंपनी द्वारा आर.ओ. पानी की व्यवस्था की गई है। यदि कंपनी का उत्पादन बढ़ा दिया जाता है तो लोगों को रोजगार मिलेगा, मै चाहता हूॅ इस प्लांट का विस्तार हो। परियोजना का मै हार्दिक अभिनंदन करता हूॅ।

5. श्री मधुसूदन देवांगन (मेसर्स आर.आर. इस्पात) ने कहा कि यहां पर हर चीज की सुविधा है ठण्डा पानी, दही दिया जाता है बच्चों के जन्म दिवस पर एक–एक वृक्ष लगवाया जाता है। कंपनी आस–पास के क्षेत्र का विकास कर रही है। ऐसी कंपनी को सरकार से सहायता मिल जाये। रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चे विकास करेंगे, मै तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूॅ।

6. श्री ईश्वरी देवांगन (मेसर्स आर.आर. इस्पात) ने कहा कि मै बीरगांव में रहता हूॅ। हीरा ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है। पर्यावरण का संरक्षण किया गया है। बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है, और तरक्की करे, जनसुनवाई का समर्थन करता हूॅ।

7. श्री उमेश देवांगन (बीरगांव) ने कहा कि आर.आर. इस्पात में कर्मचारी हूं यह प्लांट ऐसा है कि हर आदमी के जन्म दिवस पर एक वृक्ष लगवाता है। मै जनसुनवाई का समर्थन करता हूॅ।

8. श्री उदेराम वर्मा ने कहा कि हर जगह हरा–भरा वृक्षारोपण आर.आर. इस्पात कराता है। आर.आर. इस्पात में भी हरा–भरा है। मै समर्थन करता हॅू।

9. श्री राधे साहू ने कहा कि उरला में शिक्षक की कमी है। तालाब का सौंदर्यीकरण कराया गया है।

10. श्री पंचानंद सामल (बीरगांव) ने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मै तहेदिल से स्वागत करता हॅू एवं समर्थन करता हॅू।

11. श्री पुराणिक पटेल (भनपुरी) ने कहा कि मै जगह–जगह घूमता हॅू, हीरा ग्रुप द्वारा सौदर्यीकरण किया गया है, गार्डन लगाये गये है। लोगों को रोजगार मिला है। मै हार्दिक स्वागत करता हॅू।

12. श्री देवेन्द्र कुमार साहू ने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में बहुत ध्यान रखा जाता है। आई.टी.आई. वालों को अवसर मिले। मै तहे दिल से जनसुनवाई का स्वागत करता हॅू।

13. श्री गोपाल सिंह चन्द्राकर ने कहा कि डस्ट की बढ़ोतरी हो रही है। डस्ट रोड पर गिरती है, ट्रके जो चलती है उन पर तिरपाल लगाया जावे। तालाबों का सौंदर्यीकरण व संरक्षण किया जाये।

14. श्री चिन्मय मांझी ने कहा कि प्रदूषण बढ़ गया है। धुंये से तालाब में लेयर जैसी बन जाती है। बड़े–बड़े उद्योग हैं। बरसात के समय पेड़ लगाया जाना चाहिये। तालाब की सफाई कराना चाहिये इससे पर्यावरण और अच्छा रहेगा।

15. श्री कृपाराम निषाद (अछोली) ने कहा कि पर्यावरण की बारे में लोगों ने हीरा ग्रुप की बड़ाई की है। रात को प्रदूषण अछोली वासी को मिलता है। उसका जवाबदार कौन है। किसानों की खेती में पानी से प्रदुषण होता है, नाली का निर्माण कराया जावे। केवल वृक्षारोपण करके दिखावा न किया जावे। जल एवं वायु प्रदूषण न किया जाये।

16. श्री शिवयादव ने कहा कि हीरा ग्रुप द्वारा साफ–सफाई के लिए झाडू लगवाई जाती है। रोड के अगल–बगल वृक्षारोपण हीरा ग्रुप व आर.आर. इस्पात लगवाते है। प्रदूषण को नियंत्रित रखते है।

17. श्री त्रिनात्रे रेड्डी (अछोली) ने कहा कि हीरा ग्रुप का काम अच्छा है। कुछ स्थान पर आर.आर इस्पात द्वारा पानी की टंकी रखी जावे एवं अछोली ग्राम को गोद लिया जाना चाहिये।

18. अपर कलेक्टर श्री क्यू.ए. खान ने कहा कि यदि और कोई व्यक्ति परियोजना के संबंध में अपना विचार व्यक्त करना चाहते है तो अपना विचार व्यक्त कर सकते है।

19. श्री परमेश्वर निषाद ने कहा कि हीरा ग्रुप ने पर्यावरण के प्रति बहुत ध्यान दिया है। कुड़ा दान रखवाया गया है, गार्डन बनवाये गये है, सौंदर्यीकरण किया गया है। मै समर्थन करता हूॅ।

20. श्री मुरारी पटेल ने कहा कि हरियाली का नाम ही हीरा है। जैसा नाम है वैसा काम है। स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है। डस्टबीन रखवाई गई है। मै तेलीबांधा से आता हूॅ हरियाली ही हरियाली देखता हूॅ।

21. श्री लालू राम ने कहा कि मै आर.आर. इस्पात में काम करता हूॅ। सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। मै आर.आर. इस्पात छोड़कर चला गया था फिर आ गया हूॅ। कंपनी बहुत ध्यान देती है। मै आर.आर. इस्पात का आभार व्यक्त करता हूॅ।

अंत में अपर कलेक्टर श्री क्यू.ए. खान द्वारा जन सुनवाई समाप्त करने की घोषणा की गई। लोक सुनवाई प्रातः 11 बजे से प्रांरभ होकर दोपहर 12:05 बजे तक सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई के दौरान कुल 08 अभ्यावेदन प्राप्त हुये है, जो संलग्नक 2 अनुसार है। संपूर्ण लोक सुनवाई की विडियोग्राफी की गई।

(क्यू.ए. खान)
अपर कलेक्टर
जिला–रायपुर (छ.ग.)